

मुकदमों का विवरण

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम सीमित

वी.

रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (2019 की सिविल अपील संख्या 1991)

10 अक्टूबर, 2023

[अनिरुद्ध बोस और विक्रम नाथ, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय:चाहे पक्षकारों के बीच मुकदमेबाजी के पहले दौर में पारित मध्यस्थता समझौता, मध्यस्थता पुरस्कार या सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 24.02.2015 का निर्णय, भारतीय मुद्रा में प्रदत्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान किया गया हो।

मध्यस्थता-इराकी दिनार में दी जाने वाली राशि यदि भारतीय मुद्रा में परिवर्तित की जानी थी:

आयोजित किया गया:न तो मध्यस्थता समझौता, मध्यस्थता पुरस्कार या सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित 24.02.2015 के फैसले ने रुपये की राशि को छोड़कर भारतीय मुद्रा में सम्मानित राशि के भुगतान की अनुमति दी। बैंक गारंटी के भुनाने के खिलाफ स्वीकार्य ब्याज के साथ 20 लाख-इस प्रकार, भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने के लिए इराकी दिनार में दी गई राशि का कोई सवाल ही नहीं होगा-केवल रूपांतरण की अनुमति अमेरिकी डॉलर में थी-इस प्रकार, इस न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय द्वारा संदर्भित प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि पक्षों के बीच समझौते के संदर्भ में और सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 1 के फैसले के आलोक में, सम्मानित राशि को अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के लिए प्रासंगिक तिथि क्या होनी चाहिए, यह बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है-अमेरिकी डॉलर को भारतीय मुद्रा (आई. एन. आर.) में परिवर्तित करने के लिए किसी भी तारीख को निर्धारित करने या निर्धारित करने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं है-पार्टियों द्वारा इसकी सामग्री के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था।

393

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

यह भी जारी नहीं किया गया है-भुगतान केवल संगणित ब्याज के साथ विदेशी मुद्रा में किया जाना है-यह पार्टियों के लिए भुगतान करने के लिए खुला होगा और भारतीय मुद्रा को या तो वर्तमान दर पर या सहमत दर पर स्वीकार करने का दावा करने वाले अन्य पक्षों के लिए खुला होगा-लेकिन, यह न्यायालय समझौते की शर्तों या पुरस्कार या इस न्यायालय के दिनांक 24.02.2015 के फैसले में निहित निर्देशों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसमें कहा गया है कि धर्मांतरण की तारीख

मूल समझौते के अनुसार होगी और निर्णय में मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्देश आर. सी. सी. पी. एल. को कानून के अनुसार अपनी निष्पादन कार्यवाही जारी रखने के लिए स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करेंगे- भारत का संविधान-अनुच्छेद 134 ए-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996-एस।34,37. [पैरा 3,5,12 और 13]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील सं. 1991।2017 के ई. एफ. ए. (ओ. एस.) संख्या 19 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2018 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

2019 की सिविल अपील संख्या 2528।

रूप:

ध्रुव मेहता, संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता।, रजत अरोड़ा, सर्वम रितम खरे, सुश्री मीना सहरावत, सुश्री वृन्दा कपूर, शाहरुख अली, राघव गुप्ता, सुश्री उर्वी कुथियाला, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

1. 2017 के ई. एफ. ए. (ओ. एस.) No.19 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) के साथ पठित अनुच्छेद 134 ए के तहत इन दोनों अपीलों का नेतृत्व किया गया है।उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा प्रमाणित किया कि मामले में सामान्य महत्व के कानून का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v.शाही निर्माण कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड। [विक्रम नाथ, जे.] 396

395

“पक्षकारों के बीच 29 जून 1982 के समझौते के संदर्भ में और सिविल अपील संख्या 2543-44/2015 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 24 फरवरी 2015 के फैसले के आलोक में, सम्मानित राशि को अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में बदलने के लिए प्रासंगिक तिथि क्या होनी चाहिए?”

2. इस मुद्दे के निर्णय के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:2.1.राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड 2 द्वारा दी गई रॉयल कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 1 द्वारा इराक में मिट्टी का काम करने के लिए पक्षों के बीच एक समझौता किया गया था। अनुबंध के अनुसार, समझौते के खंड 31 और 32 अपने उप-पैराग्राफ के साथ भुगतान और अग्रिम से संबंधित हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“31. भुगतान और विज्ञापन:

समझौते के दस्तावेजों में उल्लिखित सभी राशि और कीमतों की अनुसूची इराकी दिनार 3 में है और कार्यों के विभिन्न घटकों के लिए सहयोगी को देय कुल एकमुश्त राशि का प्रतिनिधित्व करती है। भुगतान के उद्देश्य के लिए, कीमतों की अनुसूची का उपयोग किया जाएगा, और उचित सत्यापन के बाद सहयोगी द्वारा जमा किए गए सभी मासिक खाता बिलों के लिए भुगतान जारी किया जाएगा।

32. प्रगति में काम का भुगतान

32.1. एन. पी. सी. सी. दिल्ली से इराक के लिए एसोसिएट के श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हवाई टिकट की खरीद के रूप में प्रारंभिक अग्रिम भुगतान कर सकता है।

2. एन. पी. सी. सी. परिवहन वाहनों (1 मिनी बस, 1 लैंड रोवर और जीप, 2 मोबाइल लाइटिंग यूनिट गैरेज उपकरण और उपकरण) की लागत के लिए कार्यस्थल पर स्टोर सहित आवासीय आवास के निर्माण के लिए अग्रिम राशि देगा।

1 आर. सी. सी. पी. एल. 2 एन. पी. सी. सी. एल. 3 आईडी

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

3. शिविर की स्थापना और उपकरणों के प्रारंभिक संचालन के लिए आवश्यक सहायता मुख्य परियोजना प्रबंधक द्वारा उस हद तक दी जाएगी जब तक वह काम के हित में आवश्यक समझता है।

उपरोक्त अग्रिम राशि 10 प्रतिशत काम पूरा होने के बाद और 90 प्रतिशत काम पूरा होने से पहले "चालू खाते के बिलों" से वसूल की जाएगी। वसूली उसी मुद्रा में होगी जो एन. पी. सी. सी. ने अग्रिम के लिए खर्च की है। वसूली आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

जारी कार्य का भुगतान:

32.2 एसोसिएट द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा के लिए मासिक चालू खाता बिल हर महीने की 10 तारीख से पहले मुख्य परियोजना प्रबंधक, एन. पी. सी. जी. को प्रस्तुत किए जाएंगे। सहायक को अग्रिम, प्रतिधारण राशि और सामग्री और अन्य सेवाओं की लागत की वसूली के लिए सभी कटौती के बाद शुद्ध राशि का भुगतान किया जाएगा। भुगतान आम तौर पर बिल की इस तरह की प्रस्तुति के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। सभी मासिक भुगतान को केवल अग्रिम भुगतान के रूप में माना जाएगा। चालू भुगतान यू. एस. डॉलर में 65 प्रतिशत और आई. डी. में 35 प्रतिशत से किया जाएगा। गणना के उद्देश्य से विनिमय की दर 1 आई. डी. = 3.37778 यू. एस. डॉलर होगी और विनिमय की यह दर अनुबंध के रूप में पूरी अवधि में चालू रहेगी।

32.3 भुगतान समायोजन:

एसोसिएट या उसके द्वारा किए जाने वाले समझौते के तहत किसी भी देय भुगतान को पूरा किए गए काम के विपरीत ठेकेदार द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र से जोड़ा या काटा जाएगा। यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार अन्य पिछले भुगतान प्रमाण पत्रों के संबंध में किसी भी भुगतान प्रमाण पत्र को समायोजित कर सकता है। सहयोगी को मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

32.4 एसोसिएट्स को देय भुगतान से कटौती:

इस समझौते के तहत ठेकेदार को एसोसिएट द्वारा देय सभी भुगतान एसोसिएट को देय किसी भी अन्य भुगतान से काटे जाएंगे, और यदि ऐसा कोई बकाया नहीं है, तो ठेकेदार एसोसिएट द्वारा प्रस्तुत प्रदर्शन बांड के खिलाफ उसी की वसूली करेगा। एसोसिएट को इसके बाद तुरंत 397 की भरपाई करनी चाहिए।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v. शाही निर्माण कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड। [विक्रम नाथ, जे.] 398

इस तरह की वसूली। सभी कटौती एसोसिएट से किसी भी विभाजन के बावजूद और बिना किसी अदालती कार्रवाई के की जाएगी, लेकिन एसोसिएट की सलाह के तहत।

32.5 रख-रखाव का पैसा: प्रतिधारण राशि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक आर. ए. बिल के सकल मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अनुबंध मूल्य के कुल 5 प्रतिशत की कटौती के अधीन की जाएगी।

32.6 मुद्रा:

एन. पी. सी. सी. द्वारा सहयोगी को मासिक खाता बिल का भुगतान इराकी दिनार और अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा। **i) 35** प्रतिशत इराकी दिनार

(ii) 55 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर

32.7 भुगतानों को स्वीकृति नहीं माना जाएगा: एसोसिएट को किए गए भुगतान को ठेकेदार की ओर से काम की स्वीकृति और उसके किसी भी हिस्से और/या सामग्री और कारीगरी आदि की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाएगा।

32.8 विनिमय दर:

इराकी दिनार को अमेरिकी डॉलर में बदलने के उद्देश्य से, **3.37778** अमेरिकी डॉलर के बराबर **1** इराकी दिनार की विनिमय दर लागू होगी।

32.9 रखरखाव अवधि के बाद प्रतिधारण राशि का रिफंड: आवश्यक या वांछनीय और उस उद्देश्य के लिए, एसोसिएट को ऐसा करने का आदेश देने की शक्ति होगी और-एसोसिएट निम्नलिखित में से कोई भी या सभी करेगा:-

क) समझौते में शामिल किसी भी कार्य की मात्रा को बढ़ाएँ या घटाएँ।

ख) ऐसा कोई भी काम छोड़ दें।

ग) ऐसे किसी भी कार्य के चरित्र या गुणवत्ता या प्रकार को बदलें। घ) कार्य के किसी भी भाग के स्तर, रेखा, स्थिति और आयामों में परिवर्तन करना और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

ड) कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार के अतिरिक्त कार्य को निष्पादित करें और इस तरह का कोई भी परिवर्तन किसी भी तरह से समझौते को दूषित या अमान्य नहीं करेगा। समझौते के मूल्य की राशि और उसके पूरा होने के समय का पता लगाने में ऐसे सभी बदलावों के मूल्य (यदि कोई हो) को ध्यान में रखा जाएगा।”

2.2. वर्ष 1988 में किसी समय, पक्षों ने मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। मध्यस्थ ने 10.08.2002 दिनांकित एक पुरस्कार दिया। पुरस्कार इराक की मुद्रा यानी इराकी दिनार में दिया जाता था। पुरस्कार का परिचालन भाग निम्नलिखित है:

“दावेदार के स्वीकृत दावों के खिलाफ प्रत्यर्थी के अनुमत जवाबी दावों को निर्धारित करने के बाद, मैं इस प्रकार पुरस्कार देता हूँ:-

(क) प्रत्यर्थी मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक **12** प्रतिशत ब्याज के साथ दावेदार को आई. डी. **223777.14** (दो लाख तेइस हजार सात सौ सत्ताईस और एक चौथाई) का भुगतान करेगा।

ख) प्रत्यर्थी दावेदार को बैंक गारंटी के भुनाने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत ब्याज के साथ <आईडी1,00,000/- (बीस लाख रुपये) की राशि का भी भुगतान करेगा।

ग) आई. डी. में देय राशि दिनांक **29.6.1982** के मूल समझौते के अनुसार अमेरिकी डॉलर में परिवर्तनीय होगी। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा में निपटान के सभी भुगतान मूल समझौते और सरकारी नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

घ) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा और पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाएगा।

10 अगस्त, 2002 को नई दिल्ली में पुरस्कार दिया गया और घोषित किया गया।” 2.3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, एन. पी. सी. सी. एल. द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आपत्तियां दर्ज की गईं।

4 1996 का अधिनियम 399

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v. शाही निर्माण कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड। [विक्रम नाथ, जे.] 400

जिन्हें 26.05.2008 पर खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा, 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत दायर अपील का निपटारा दिनांक 1 के फैसले के माध्यम से किया गया, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ब्याज की दर को 12 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया और दूसरा, अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने की तारीख को निर्णय की तारीख के रूप में निर्धारित किया, अर्थात् 2 प्रतिशत प्रति वर्ष। अपीलार्थी के नेतृत्व में एक समीक्षा याचिका को भी 19.09.2014 पर खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।

2.4. इससे व्यथित होकर एन. पी. सी. सी. एल. ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस न्यायालय ने अनुमति देने के बाद 24.02.2015 दिनांकित आदेश के माध्यम से, अपील की अनुमति दी, डिवीजन बेंच के दोनों आदेशों यानी 19.05.2014 और 19.09.2014 को दरकिनार कर दिया। इस न्यायालय ने आगे कहा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्णय में जो भी निर्देश दिए गए हैं, वे निर्णय को नियंत्रित करेंगे। इस न्यायालय ने आगे कहा था कि धर्मांतरण की तारीख दिनांकित मूल समझौते 26.09.1982 के अनुसार होगी, जैसा कि विद्वान मध्यस्थ ने पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा था। इसके अलावा यह विचार था कि ब्याज की दर को कम करके डिवीजन बेंच का बीच का दृष्टिकोण भी उचित नहीं था। इस न्यायालय के निर्णय के अंतिम दो अनुच्छेदों को पुनः प्रस्तुत करना लाभकारी होगा:

“विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय को समझौते के विपरीत और समझौते के अनुरूप निर्णय के विपरीत धर्मांतरण की तारीख तय करनी चाहिए थी और ब्याज की दर को और कम करना चाहिए था। हमारी सुविचारित राय में, जब विद्वान मध्यस्थ ने पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि धर्मांतरण की तारीख दिनांकित मूल समझौते 29.06.1982 के अनुसार होगी, तो उसे बदला नहीं जा सकता था। इसके अलावा, हम ब्याज की दर को बदलने के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं जैसा कि विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया गया है। यह कहने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि धारा 34 और मध्यस्थता से संबंधित सिद्धांतों के तहत एक आवेदन को खारिज करने वाले आदेश की अपील पर विचार करते समय। उच्च न्यायालय ने इसे "मध्य मार्ग दृष्टिकोण" करार देते हुए ऐसा आदेश पारित नहीं किया होगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों आदेशों को खारिज कर देते हैं। जोर देने की आवश्यकता नहीं है,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

विद्वान मध्यस्थ द्वारा निर्णय में जो भी निर्देश दिए जाएँ, वे निर्णय को नियंत्रित करेंगे। दिनांक 1 के आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष जमा की गई राशि अपीलार्थी को वापस कर दी जाएगी। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।”

2.5. इस न्यायालय के फैसले के बाद, प्रतिवादी आर. सी. सी. पी. एल. ने निष्पादन की कार्यवाही शुरू की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसी दिनांकित 26.05.2017 आदेश के माध्यम से निर्णय

लिया और भारतीय रुपये में भुगतान करने और अमेरिकी डॉलर से भारतीय रुपये में परिवर्तन की तारीख को समझौते की तारीख यानी 26.09.1982 बनाने का निर्देश दिया। प्रत्यर्थी आर. सी. सी. पी. एल. ने खंड पीठ के समक्ष अपील की। दिनांक 1 के विवादित आदेश द्वारा, खंड पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया था, एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया था और कानून के प्रश्न को इस न्यायालय को भेज दिया था। इस तरह वर्तमान अपीलें हमारे सामने हैं, एक एन. पी. सी. सी. एल. के नेतृत्व में और दूसरी आर. सी. सी. पी. एल. के नेतृत्व में।

3. पक्षकारों के वकील ने संविधान के अनुच्छेद 134 ए के तहत प्रश्न का हवाला देते हुए डिवीजन बेंच द्वारा विवादित आदेश पारित किए जाने तक समझौते की सामग्री या निर्णय या की गई कार्यवाही के संबंध में कोई मुद्दा नहीं उठाया है। इस प्रकार समझौता दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी है। पुरस्कार ने वास्तविकता प्राप्त कर ली है और मुकदमों के कई दौर में पारित आदेश भी जारी नहीं किए गए हैं। इस प्रकार, हमें अभिलेख की सामग्री के आधार पर आगे बढ़ना होगा और इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि इस न्यायालय को अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने की तारीख निर्धारित करने की आवश्यकता है।

4. हमने समझौते की सामग्री, पुरस्कार और एन. पी. सी. सी. एल. की अपील को अनुमति देने और निर्देश जारी करने के लिए इस न्यायालय द्वारा 24.02.2015 पर पारित आदेश का अध्ययन किया है।

5. इस न्यायालय ने दिनांकित 24.02.2015 के निर्णय में, जिसका प्रासंगिक हिस्सा पहले ही ऊपर निकाला जा चुका है, निम्नलिखित को स्पष्ट किया है:

i) रूपांतरण की तारीख मूल समझौते दिनांक 29.06.1982 के अनुसार होगी।

(ii) डिवीजन बेंच द्वारा ब्याज दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत करके इसे मध्य मार्ग 401 करार दिया गया है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v. शाही निर्माण कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड। [विक्रम नाथ, जे.] 402

यह टिकाऊ नहीं था क्योंकि यह 1996 के अधिनियम की धारा 37 के दायरे से बाहर था।

iii) निर्णय में विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्देश निर्णय को नियंत्रित करेंगे।

6. उपरोक्त से यह बहुत स्पष्ट है कि हमें परिवर्तन की तारीख के संबंध में प्रश्न तय करने के उद्देश्यों के लिए समझौते की शर्तों से पीछे हटना होगा।

7. पूरे समझौते में, भुगतान और अग्रिम और प्रगति पर काम के भुगतान से संबंधित प्रासंगिक पैराग्राफ पैराग्राफ 31 और 32 और इसके उप-पैराग्राफ में निर्धारित किए गए हैं। समझौते के पैराग्राफ 32.6 में कहा गया है कि मासिक खाता बिलों का भुगतान इराकी दिनार और अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा, जिसमें से 35 प्रतिशत इराकी दिनार में और 65 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर में होगा। इसके अलावा, पैराग्राफ 32.8 में इराकी दिनार को अमेरिकी डॉलर में बदलने के उद्देश्य से विनिमय

दर की व्याख्या की गई है और विनिमय दर 1 इराकी दिनार है जो 3.37778 अमेरिकी डॉलर के बराबर है।

8. हम समझौते से भारतीय मुद्रा यानी आई. एन. आर. में भुगतान किए जाने का कोई उल्लेख नहीं करते हैं। एक बार जब भारतीय मुद्रा आई. एन. आर. में भुगतान करने के लिए पक्षों के बीच कोई अनुबंध नहीं होता है, तो परिवर्तन की किसी भी तारीख को निर्धारित करने या समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

9. इसके बाद, हमें पुरस्कार और उसमें जारी किए गए निर्देशों की जांच करने की आवश्यकता है कि क्या पुरस्कार में भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की कोई शर्त थी। पुरस्कार के संचालन भाग में तीन दिशाएँ होती हैं:

क) वर्तमान अपीलार्थी एन. पी. सी. सी. एल. प्रत्यर्थी आर. सी. सी. पी. एल. को मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 2,23,777.14 के इराकी दिनार का भुगतान करेगा।

ख) दूसरा निर्देश यह था कि एन. पी. सी. सी. एल. को रु. 12 प्रतिशत के ब्याज के साथ आर. सी. सी. पी. एल. को बीस लाख

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 15 एस सी आर।

बैंक गारंटी के भुनाने की तारीख से भुगतान की तारीख तक प्रति वर्ष।

ग) तीसरा निर्देश यह था कि इराकी दिनार में देय राशि दिनांकित मूल समझौते के अनुसार अमेरिकी डॉलर में परिवर्तनीय होगी और विदेशी मुद्रा में निपटान के सभी भुगतान मूल समझौते और सरकारी नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

10. समझौते में निर्धारित किया गया था कि इराकी दिनार निम्नलिखित दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जा सकता है अर्थात् 1 इराकी दिनार = 3.37778 अमेरिकी डॉलर। यह पुरस्कार अपीलार्थी को इराकी दिनार में देय राशि को भारतीय मुद्रा (आई. एन. आर.) में परिवर्तित करने की अनुमति या स्वतंत्रता नहीं देता है।

11. एन. पी. सी. सी. एल. द्वारा नकद की गई बैंक गारंटी की राशि के अलावा, दी गई अन्य राशि केवल इराकी दिनार में है।

12. विचार करने के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या इस न्यायालय के दिनांकित समझौते, पुरस्कार या निर्णय ने भारतीय मुद्रा में प्रदान की गई राशि के भुगतान के लिए प्रावधान किया है। हमारे विचार में, उपरोक्त सामग्री का अवलोकन रुपये की राशि को छोड़कर भारतीय मुद्रा में प्रदान की गई राशि के भुगतान की अनुमति नहीं देता है। बैंक गारंटी के भुनाने पर स्वीकार्य ब्याज के साथ 20 लाख। एक आवश्यक परिणाम के रूप में, भारतीय मुद्रा में परिवर्तित होने के लिए इराकी दिनार में दी जाने

वाली राशि का कोई सवाल ही नहीं होगा। एकमात्र स्वीकार्य रूपांतरण अमेरिकी डॉलर में था। उपरोक्त बैकड्रॉप में, इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिए जाने वाले विवादित निर्णय द्वारा संदर्भित प्रश्न बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं हो सकता है।

13. उपरोक्त तथ्य स्थिति में, अमेरिकी डॉलर को भारतीय मुद्रा (आई. एन. आर.) में बदलने के लिए किसी भी तिथि को निर्धारित करने या निर्धारित करने का कोई अवसर या आवश्यकता नहीं है। भुगतान केवल गणना किए गए ब्याज के साथ विदेशी मुद्रा में किया जाना है। यह पक्षों के लिए भुगतान करने के लिए खुला होगा और अन्य पक्ष जो भारतीय मुद्रा को या तो वर्तमान दर पर या सहमत दर पर स्वीकार करने का दावा करते हैं, लेकिन यह न्यायालय समझौते की शर्तों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड v. शाही निर्माण कंपनी पी. वी. टी. लिमिटेड. [विक्रम नाथ, जे.]

या इस न्यायालय के दिनांक 24.02.2015 के निर्णय में निहित पुरस्कार या निर्देश।

14. तदनुसार प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। उपरोक्त निर्देशानुसार दोनों अपीलों का निपटारा किया जाता है। आर. सी. सी. पी. एल. को कानून के अनुसार अपनी निष्पादन कार्यवाही जारी रखने की स्वतंत्रता होगी। 15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपीलों का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे